दिनांक 21.02.2019 को मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्वच्छ भारत मिशन की राज्य स्तरीय उच्चाधिकार संचालन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक के आरम्भ में नगर विकास विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के संबंध में हुई प्रगति से मा0 समिति को अवगत कराया गया। यह बिन्दु रखा गया कि यद्यापि विगत समय में कुड़े के निस्तारण की प्रक्रिया में निकाय स्तर पर प्रगति की गयी है तथापि निकायों में प्रोसेसिंग की सुविधा लगभग नगण्य है और सोर्स सेग्रीगेशन के अनुसार डोर–टू–डोर कलेक्शन भी अभी आशानुरूप ढंग से सुनिश्चित नही हो सका है। विभाग द्वारा इस विषय में म्युनिसिपल सालिड वेस्ट रूल 2016 में वर्णित टाइम लाइन एवं मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के द्वारा इस विषय में पारित किये गये निर्देशों से समिति को अवगत कराया गया और उपरोक्त पृष्ठभूमि में यह तथ्य इंगित किये गये कि नियमों एवं कूड़े के निस्तारण हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों में वर्णित प्रक्रियान्तर्गत नगरीय निकायों में कूड़े का स्रोत पर पृथक्कीकरण, परिवहन एवं कूड़े के उपचार एवं निस्तारण में विकेन्द्रीकृत प्रणाली के उपयोग पर एम0एस0डब्लू0 रूल्स 2016 में प्राथमिकता दी गयी है, जिससे कूड़े को स्रोत एवं वार्ड स्तर पर पुर्नउपयोग एवं पुर्नचक्रण की प्रक्रिया का उपयोग करते हुये कूड़े के एकत्रीकरण एवं परिवहन पर लागत कम की जा सके।

उपरोक्त व्यवस्था का कियान्वयन छत्तीसगढ़ राज्य की समस्त निकायों में किया जा रहा है तथा यह अम्बिकापुर माडल के आधार पर है। पूर्व में कूड़े को घर–घर से संग्रहण करने के पश्चात कूड़े के परिवहन एवं उपाचार हेतु ट्रीटमेन्ट प्लान्ट पर केन्द्रीयकृत व्यवस्था थी। एम0एस0डब्लू0 रूल्स 2016 के अनुसार नगरों में एम0आर0एफ0 (मेटेरियल रिकवरी फेसिल्टी) एवं विकेन्द्रीकृत कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना का कार्य दिसम्बर 2018 तक पूर्ण किया जाना था तथा इसके कियान्वयन के लिये वर्तमान में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा भी समय–समय पर इस व्यवस्था के कियान्वयन के निर्देश निर्गत किये गये है।

उक्त को दृष्टिगत रखते हुयें क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ द्वारा एक लाख से अधिक की आबादी वाले 60 नगरों के लिये एम0आर0एफ0 केन्द्र तथा विकेन्द्रीकृत मेकेनिकल कम्पोस्ट यूनिट की स्थापना का कार्ययोजना तैयार की गयी है। प्रदेश के 60 नगरों में वर्तमान में लगभग 56,46,141 हाउसहोल्ड है। इस हेतु लगभग 22,585 साइकिल रिक्शा, लगभग 565 टाटा 4–एस, 1807 एम0आर0एफ0 केन्द्र तथा लगभग 1129 कम्पोस्ट यूनिट पूरे प्रदेश की निकायों में स्थापित किये जाने की आवश्यकता है, जिस पर कैपिटल कास्ट रू0 844.10 करोड़ की आती है तथा 1 साल के रखरखाव पर व्यय रू0 747.82 करोड़ सम्भावित है। यह भी अवगत कराया गया कि उपरोक्त माडल को लागू करने के लिये 25000 की जनसंख्या वाली निकायों में 1 निकाय पर कैपिटल कास्ट

लगभग 70.12 लाख तथा रख–रखाव पर 61.19 लाख, 25 से 50 हजार के बीच की जनसंख्या वाले निकायों पर कैपिटल कास्ट रू0 1.55 करोड़ तथा रख–रखाव पर रू0 1.24 करोड़ प्रति वर्ष तथा पचास हजार से अधिक की जनसंख्या वाली निकायों पर कैपिटल कास्ट रू0 1.96 करोड़ तथा रखरखाव पर व्यय रू0 1.03 करोड़ का सम्भावित है। कैपिटल कास्ट पर आने वाली धनराशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित किये गये मानकों के अनुसार है। भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना पर प्रति व्यक्ति कूड़े के स्रोत पर पृथक्कीकरण, एकत्रीकरण, परिवहन तथा उपचार एवं सेनेटरी लैण्ड फिल हेतु रू0 1200/– प्रति व्यक्ति के आधार पर लागत का निर्धारिण किया गया है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक सहमति प्रदान करते हुए यह निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि का आवंटन निकायों को करते समय निकायों में विद्यमान ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रक्रिया एवं संसाधनों को ध्यान में रखा जायेगा और धनराशि का आवंटन इस प्रकार किया जायेगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। इस विषय में यह सावधानी रखी जायेगी महज संसाधनों के क्रय आदि की प्रक्रिया पर एकबारगी अधिक व्यय न हो बल्कि समग्र रूप से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित किये जाने हेतु निकायों द्वारा कार्यवाही की जाये।

बैठक में यह भी अवगत कराया गया कि प्रदेश में एक लाख से कम की आबादी वाले 600 नगर निकाय है जिसमें लगभग 3239874 हाउसहोल्ड है। इन परिवारो हेतु लगभग 16199 साइकिल रिक्शा, 1200 टाटा –4एस तथा 1080 एम0आर0एफ0 सेन्टर तथा 1080 कम्पोस्ट यूनिट की आवश्यकता होगी जिसके लिये कैपिटल कास्ट रू0 624.47 करोड़ की धनराशि का व्यय प्रस्तावित है तथा इसके 1 साल के रखरखाव पर 403.67 करोड़ का व्यय संभावित है। मा0 समिति द्वारा उक्त प्रस्ताव भी सैद्धान्तिक रूप से अनुमोदित करते हुए इस आशय के निर्देश दिये गये कि उपरोक्त कार्ययोजना के अनुरूप धनराशि का आवंटन निकायों को करते समय निकायों में विद्यमान ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की प्रक्रिया एवं संसाधनों को ध्यान में रखा जायेगा और धनराशि का आवंटन इस प्रकार किया जायेगा कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली 2016 के अनुरूप लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित हो। इस विषय में यह सावधानी रखी जायेगी महज संसाधनों के क्रय आदि की प्रक्रिया पर एकबारगी अधिक व्यय न हो बल्कि समग्र रूप से ठोस अपशिष्ट के निस्तारण की प्रगति सुनिश्चित किये जाने हेतु निकायों द्वारा कार्यवाही की जाये।

उपरोक्तानुसार समिति द्वारा एक लाख से अधिक की जनसंख्या वाले 60 नगरों की तथा एक लाख से कम की जनसंख्या वाले 600 नगरीय निकायों की कार्ययोजना की

स्वीकृति प्रदान करते हुये मा0 एन0जी0टी0 में प्रस्तुत की जा रही कियान्वयन रिपोर्ट के अनुसार इस कार्ययोजना को सैद्धान्तिक रूप से समिति द्वारा स्वीकृत प्रदान की गयी।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 10.03.2019 को आदर्श आचार सहिता प्रभावी हो गयी है अतः आदर्श आचार सहिता में विहित प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाए।

उपरोक्तानुसार हुये विचार–विमर्श तथा संस्तुति/निर्णय के पश्चात बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

भवदीय,

14.3.19

(मनोज कुमार सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–5
संख्या– 1019 /नौ–5–2019–355सा/2014
लखनऊः दिनांकः 14 मार्च, 2019

प्रतिलिपिः– समस्त संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(राधे कृष्ण)
संयुक्त सचिव।